

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज०)

दायर दिनांक: 13.07.2021

वाद-पत्र संख्या :-65/2021

GCMS NO:- 2021/153

पीठासीन अधिकारी :-श्योराम (आर.ए.एस.)

रामलक्ष्मण पुत्र मथरा जाति मीणा निवासी ग्राम गुढासदावर्तिया तहसील नैनवाँ जिला बून्दी

-वादी-

बनाम

1. अम्बालाल पुत्र हजार जाति मीणा निवासी ग्राम कालामाल तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
2. दुर्गा पुत्र फून्दा जाति मीणा निवासी ग्राम कालामाल तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
3. महावीर पुत्र नारायणजाति मीणा निवासी ग्राम कालामाल तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
4. मोजीराम पुत्र नारायणजाति मीणा निवासी ग्राम कालामाल तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
5. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।

-प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53,188 आर.टी एक्ट

उपस्थिति:-

निर्णय दिनांक 18.11.2021

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दिनांक 25.10.2021 को प्राथमिक डिकी किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार नैनवाँ से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गए-

	खसरा नं०	रकबा
1. (वादी) रामलक्ष्मण पुत्र मथरा जाति मीणा सा० देह खाते रहन स्टेट ऑफ इण्डिया शाखा देई	338	0.1577
	339	0.0785
	कुल कित्ता 2	कुल रकबा 0.2362 है०

2. अम्बालाल पुत्र हजार हि० 1/4 जाति मीणा सा० रहन बीओबी बांसी		
दुर्गा पुत्र फून्दा हि० 1/4 जाति मीणा सा० देह खाते	खसरा नं	रकबा
महावीर पुत्र नारायण हि० 1/4 जाति मीणा सा० देह खाते	338/1	0.1577
मोजीराम पुत्र नारायण हि० 1/4 जाति मीणा सा० देह रहन बीओबी बांसी	339/2	0.7871
	कुल कित्ता 2	कुल रकबा 0.9449 है०

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार नैनवाँ आदि का अवलोकन किया। बहस बंटवारा रिपोर्ट सुनी गई। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत केम्प कोर्ट माणी में पेश हुई। तहसीलदार नैनवाँ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार बंटवारा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद अन्तिम डिकी किया जाता है। ग्राम कालामाल पटवार हल्का कालामाल तहसील नैनवाँ के खाता संख्या नया 58 की कृषि भूमि के खसरा सं. 338 रकबा 0.3155 है० तथा खसरा संख्या 339 रकबा 0.8656 है० कृषि भूमि का विभाजन निम्नानुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

1. (वादी) रामलक्ष्मण पुत्र मथरा जाति मीणा सा० देह खाते रहन स्टेट ऑफ इण्डिया शाखा देई	खसरा नं०	रकबा
	338	0.1577
	339	0.0785



उपखण्ड अधिकारी

नैनवाँ (बून्दी)


Page 368

कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.2362 है0

2. अम्बालाल पुत्र हजारा हि0 1/4 जाति मीणा सा0 रहन बीओबी बांसी		
दुर्गा पुत्र फुन्दा हि0 1/4 जाति मीणा सा0 देह खाते	खसरा नं	रकबा
महावीर पुत्र नारायण हि0 1/4 जाति मीणा सा0 देह खाते	338/1	0.1577
मोजीराम पुत्र नारायण हि0 1/4 जाति मीणा सा0 देह रहन बीओबी बांसी	339/2	0.7871
	कुल कित्ता 2 कुल रकबा	0.9449 है0

बंटवारा प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में भिन्न-भिन्न रंगों से प्रदर्शित हिस्सानुसार मौके पर बंटवारा किया जाकर सम्बन्धित पक्षकार को कब्जा संभलाये जाने हेतु तहसीलदार नैनवां को अन्तिम डिक्री जारी की जावे। नजरी नक्शा बंटवारा प्रस्ताव को परिशिष्ट "क" नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के विभाजन से हिस्से में आयी भूमि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ही किसी से करवायें।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपस्थित अधिकारी
नैनवां (बूजी)